



Certificate No. : IN-UP61882562753039V
 Certificate Issued Date : 17-Jul-2023 03:23 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14220304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1422030418873406490436V
 Purchased by : RAM NARAYAN SO NATHU
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RAM NARAYAN SO NATHU
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : RAM NARAYAN SO NATHU
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



घोषणा- पत्र

Please write or type below this line

मैं \ हम राम नरयान सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ । देते हैं कि
 :- [क] मैं \ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मैं हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति
 के प्रारम्भ के दिनोंक से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित
 उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ \ रखते हैं।
 [ख] मैं \ हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता [कोड] को उसमें
 उल्लिखित किंही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का
 इसके अर्न्तगत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों
 से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य हैं बाध्य होने को सहमत हूँ \ हैं।

अधिशाषी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
 राबरेली

राम नरयान

राम नरयान

(ग) मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञापिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगी कि वह उपरोक्त कथितवितरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(घ) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे हैं उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

(ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

(च) जमा योजना सामान्य योजना तथा सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से 30 प्रो पावर कार्पा 0 नि 0 लि 0 द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(छ) उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा 30 प्रो पा 0 कार्पा 0 नि 0 लि 0 के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एल 0 टी 0 लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु धूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(झ) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों में स्थानीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड रायबरेली से बिल प्राप्त करूँगा/करती रहूँगा तथा उसका भुगतान ससमय करूँगा/करती रहूँगा।

(ञ) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञापिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाद की दिनोंक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनिधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञापिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञापिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तिमय आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञापिधारी का कोई परामर्हित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बन्धन देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञापिधारी को विद्युत वितरण संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूँगा।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिशायी अभियन्ता

स्थान

गवाहों के हस्त

राम नारायण

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय

रायबरेली

① राम भरोसे 5/10 राम कुमार

श्री रामसेर सिंह पी. 0 अतीश कुमारी

रायबरेली

② सुरेश राजाशाम

पति सुरेश सिंह पी. 0 अतीश कुमारी